

मांग संख्या 66
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय करने हेतु ₹ 798.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 7,98,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आश्रमों/छात्रावासों में निवासरत छात्रों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु ₹ 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।